

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/41/2019

**अपीलार्थी**  
श्री प्रतापसिंह,  
एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड जिला-अलवर  
(राज.)-301701

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**  
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड  
अधिकारी बहरोड (अलवर)

**प्रवेश तिथि 13.06.2019**

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

**निर्णय**

दिनांक: 04.07.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 10.05.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर धूम्रपान अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही बाबत 02 बिन्दुओं पर कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांक: 10.05.2019 के अनुसार वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दिनांक: 11.06.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांक: लोक सूचना/2019/772-73 दिनांक: 21.06.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 10.05.19 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांक: लोक सूचना/2019/572 दिनांक: 14.05.19 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
10. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदन के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाना निराधार है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)

P.T.O.

021

11. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है।
12. प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
14. निर्णय घोषित ।



  
अपीलीय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)